

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

8

सरकार जारिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिगारिया वनाम लख्माल डी. रोशन ठाकेर

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

वमनपुरा

प्रकरण संख्या :- RA/35/2017

निर्णय दिनांक - 26/10/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण राक्षस में इस प्रकार है कि ग्राम वमनपुरा की आ.ख.न. 161 कुल रकवा 1.57 किस्म जमीन नौपुतवाडी में से 0.01 रकवे पर श्री लख्माल डी. रोशन ठाकेर पर अनाविकृत रूप से अतिक्रमण कर प्युडाडाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिगारिया द्वारा दिनांक 29/11/17 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. कोडाकात के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी लख्माल डी. रोशन ठाकेर वमनपुरा निवासी वमनपुरा को न. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस वाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी राजीवसिंह (पुत्र) उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकववा आ.ख.न. 161 रकवा 1.57 में से 0.01 रकवे किस्म नौपुतवाडी है जो नियमन के योग्य नहीं है लिखना नैरसायस को अतिक्रमी रकवे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जात है एवं दण्ड स्वरुप लगान 6 Paisa का 50 गुणा 3/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी तिगारिया भू.अ.निरी. कोडाकात को लिखा जाकर वाद तामील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/10/17

तहसीलदार कठूमर अलवर (राज.)

श. द. सं. 4 दि. 142 नं - 4  
दि. 20/10/17 वापसी नं 31  
हो कायमी की गई  
[Signature]  
तहसीलदार कठूमर अलवर